ऋण स्वीकृति अधिकार

ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने एवं ऋणों की तत्परता से स्वीकृति करने की दृष्टि से ऋण स्वीकृति अधिकारों में निरन्तर विकेन्द्रीकरण किया गया है. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के स्तर पर ऋण स्वीकृति के अधिकार निम्नप्रकार हैं :-

1. राशिवार ऋण स्वीकृति के अधिकार :

अ) प्रा.स.भू.वि.बैंक स्तर परः

क्र.सं.	ऋण राशि	स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी
1.	रूपये 30,000 तक	शाखा सचिव
2.	रूपये 30,001 से 75,000 तक	सचिव / सहायक सचिव
3.	रूपये 75,001 से 3,00,000 तक	अध्यक्ष / प्रशासक
4.	रूपये 3,00,000 से अधिक	संचालक मण्डल ऋण उप समिति / प्रशासक.

ब) राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर :

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की अनुशंसा पर ऋण स्वीकृति राज्य भूमि विकास बैंक के प्रशासक / संचालक मण्डल द्वारा की जावेगी.

2. उद्देश्यवार ऋण स्वीकृति के अधिकार :

विभिन्न उद्देश्यों हेतु ऋण राशि के आधार पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृति के अधिकार निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	उद्देश्य	ऋण स्वीकृति हेतु सक्षमता
(1)	लघु सिंचाई	राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुसार प्रा.स.भू.वि.बैंकों के स्तर पर ऋण स्वीकृत किये जाते हैं.
(2)	कृषि यंत्रीकरण	प्रा.स.भू.वि.बैंकों के स्तर पर ऋण स्वीकृत किये जाते हैं.
(3)	कम्बाईन हार्वेस्टर	प्रा.स.भू.वि.बैंक की अनुशंसा पर राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाते हैं.

(4) अकृषि उद्देश्य :

4.1 <u>लघु पथ परिवहन वाहनः</u> प्रा.स.भू.वि.बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृत किये जाते हैं.

4.2 अन्य अकृषि उद्देश्यः

अ) रू. 2.00 लाख तक — प्रा.स.भू.वि.बैंक स्तर पर

ब)	रू.2.00 लाख से 5.00 लाख तक	प्रा.स.भू.वि.बैंक स्तर पर गठित कमेटी की अनुशंसा पर प्रशासक / अध्यक्ष / संचालक मण्डल / ऋण उप समिति द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाते हैं. कमेटी में निम्न सदस्य हैं :– 1. सचिव, प्रा.स.भू.वि.बैंक 2. क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य भूमि विकास बैंक. 3. नोडल अधिकारी(अकृषि ऋण), प्रा.स.भू.वि.बैंक.
स)	रू.5.00लाख से अधिक	राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृत किये जाते हैं.

(5) विविधिकृत उद्देश्य :

विविध प्रकार की योजनाओं की स्वीकृति के अधिकार

वर्तमान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं शीर्ष बैंक स्तर से विविध प्रकार की योजना स्वीकृत करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था है :–

क्र.सं.	उद्धेश्य	प्राथमिक बैंक स्तर पर स्वीकृत	राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर स्वीकृत
1.	डेयरी	*2.50 लाख रूपये तक*	*2.50 लाख रूपये से अधिक*
2.	मुर्गीपालन	2.50 लाख रूपये तक	2.50 लाख रूपये से अधिक
3.	मत्स्य पालन	2 हेक्टेयर पौण्ड तक	2 हेक्टेयर पौण्ड से अधिक
4.	फल विकास योजना	2.50 लाख रूपये तक	2.50 लाख रूपये से अधिक
5.	फूल विकास योजना	गुलाब योजना	अन्य समस्त योजनाएं
6.	मेंहदी रोपण / हरा चारा विकास योजना	5 एकड़ तक की योजनाएं	5 एकड़ से अधिक की योजनायें
7.	जोजोबा रोपण	2.5 एकड़ तक की योजनाएं	2.5 एकड़ से अधिक की योजनाएं
8.	भेड़पालन	2.50 लाख रूपये तक की योजनाएं	2.50 लाख रूपये से अधिक की योजनाएं
9.	मिश्रित / कम्पोजिट योजनाएं	2.50 लाख रूपये तक की योजनाएं	2.50 लाख रूपये से अधिक की योजनाएं
10.	अन्य उद्देश्य	–	समस्त योजनाएं
(6)	ग्रामीण आवास :	2.00 लाख तक	2.00 लाख से अधिक

3. पुनःऋण स्वीकृति अधिकार :

ऋण स्वीकृति दिनांक के पश्चात यदि ऋणी द्वारा ऋण प्राप्त नहीं किया जाता है एवं 6 माह बाद ऋण की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में ऋणी द्वारा पुनः जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नाबकायात प्रमाण–पत्र बैंक में प्रस्तुत करने पर ही ऋण पुनःस्वीकृति हेतु विचारणीय होगा. पुनः ऋण की स्वीकृति हेतु ऊपर वर्णित अधिकारों के तहत ही कार्यवाही की जावेगी.

ऋण स्वीकृति प्रक्रिया

रिसीविंग ऑफिसर द्वारा ऋण आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात ऋण आवेदन पत्र, भूमि मूल्यांकन, ऋण क्षमता, ऋण चुकौती क्षमता के आंकलन हेतु ऋण पर्यवेक्षक/भूमि मूल्यांकन अधिकारी को दिया जावेगा. ऋण पर्यवेक्षक/भूमि मूल्यांकन अधिकारी की अनुशंसा के पश्चात ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी. इस संबंध में दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं:–

1. **भूमि मूल्यांकन रिपोर्टः** ऋण आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात् सुपरवाईजर/एल.वी.ओ. द्वारा भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जावेगी. भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट में ऋण का उद्देश्य,सुरक्षा,रहन हेतु प्रस्तावित भूमि/अचल संपत्ति, ऋण क्षमता, ऋण चुकौती क्षमता, स्वीकृति योग्य ऋण राशि, ऋण की अदायगी की अवधि का उल्लेख करते हुए ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में अनुशंसा की जावेगी. भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट 4 दिवस में शाखा सचिव को प्रस्तुत की जावेगी.
2. 30 हजार रूपये तक के मामलों में शाखा सचिव द्वारा ऋण स्वीकृति की कार्यवाही अधिकतम 2 दिवस में की जावेगी. यदि ऋण अस्वीकृत किया जाता है तो शाखा सचिव संबंधित कारणों का उल्लेख करेगा.
3. 30 हजार रूपये से अधिक के ऋण के मामलों में शाखा सचिव द्वारा पत्रावली अपनी अनुशंसा सहित, सचिव,बैंक को 1 दिवस में भिजवाई जावेगी.
4. 30 हजार रूपये से अधिक के ऋण के मामलों में सचिव/अध्यक्ष/ प्रशासक/ संचालक मंडल/ऋण उप समिति द्वारा ऋण स्वीकृति अधिकारों के अनुसार ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी. सचिव स्तर पर ऋण स्वीकृति 2 दिवस में की जावेगी.
5. ऋण स्वीकृत होने की तिथि के 2 दिवस के भीतर ऋण स्वीकृति आदेश संबंधित प्रार्थी को ऋण स्वीकृति शर्तों सहित भिजवाये जायेंगे.
6. स्वीकृति आदेश में प्रार्थी को अधिकतम 3 दिवस की अवधि के भीतर शाखा/ प्रधान कार्यालय में उपस्थित होकर रहन पत्र निषादन कराने के लिए सूचित किया जावेगा.
7. ऋण अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में संबंधित कारणों से प्रार्थी को लिखित में 3 दिवस में सूचित किया जावेगा.
8. रहन पत्र निष्पादन के पश्चात् निष्पादित रहन पत्र 2 प्रतियों में संबंधित सब रजिस्ट्रार को बुक नं. 1 में पंजीयन हेतु भेजा जावेगा.
9. प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में ऋण शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिये सचिव/शाखा